जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तें

1. निविदाकर्ता संस्था पंजीकृत संस्था होनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण वर्तमान सत्र हेतु जीवित होना चाहिए।
2. सुरक्षा व्यवस्था ''सुरक्षा कर्मचारी'' जिनकी आयु 45 वर्ष (पूर्व सैनिक के लिये 55 वर्ष) से कम हो एवं उंचाई न्यूनतम 05 फुट 08 इंच ही अनुबंधित किये जा सकेगें। महिला सुरक्षा कर्मचारी के लिये 05 फुट 04 इंच ऊँचाई हो।
3. बन्दूक धारी कर्मचारी के पास स्वयं के नाम से लाईसेंस एवं हथियार उपलब्ध हो।
4. समस्त संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित गणवेश में उपस्थित होना होगा तथा उन्हें वर्दी, डंडा, बैज, टोपी, बैल्ट, टार्च आदि इत्यादि लाना होगा। निर्धारित वर्दी में उपस्थित न होकर प्रति कर्मचारी 100/- अर्थ दण्ड लगेगा।
5. सामान्यतः अलग-अलग ड्यूटी के लिए प्रत्येक शिफ्ट में अलग-अलग कर्मचारी उपलब्ध कराने होगें। विशेष परिस्थिति में डबल ड्यूटी की जा सकेगी लेकिन तद्संबंधी पुनरावृत्ति प्रति माह पॉच बार से अधिक नहीं होगी। जिसकी लिखित सूचना पूर्व में देनी होगी ।
6. टेन्डर हेतु दरें माहवार के लिए होगी तथा संबंधित संस्था को माह के समस्त दिवसों (अर्थात 30 दिन/31 दिन जैसी भी अपेक्षा हो) में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी।
7. फार्म को संबंधित कर्मचारियों का विवरण /पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर एक पृथक पंजी में रखना होगा तथा कुलसचिव द्वारा मांगे जाने पर अभिप्रमाणित कराना होगा।
8. अनुमानित 22 डंडे धारी एवं 22 बन्दूक धारी जिनमें 06 महिला सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होगे लेकिन विश्वविद्यालय की आवश्यतानुसार यह संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकेगी जिसकी पूर्व सूचना संबंधित ऐजेन्सी को एक सप्ताह पूर्व दे दी जावेगी।
9. अनुबंध होने की स्थिति में दरें निर्धारित रहेगी तथा किन्हीं परिस्थितियों में दरों को निर्धारित अनुबंध काल में घटाया/बढ़ाया नहीं जा सकेगा।
10. अनुबंध सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा। जिसे संतुष्टिपरक सेवायें प्राप्त होने की स्थिति में उभय पक्ष की सहमति से एक-एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
11. सुरक्षा कर्मचारी के ड्यूटी पर लापरवाही बरतने अथवा अनाधिकृत (बिना सूचना के) अनुपस्थि रहने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रू. 100/- के हिसाब से राशि काट ली जावेगी एवं किसी भी प्रकार की चोरी तथा सुरक्षा जनहानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

........2

12. मद्यपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी कर्मचारी के मदिरापान कर ड्यूटी पर आने की स्थिति में उसे ड्यूटी से निष्कासित करना होगा।
13. आबारा पशुओं एवं कुत्तों को भगाने का दायित्व भी डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों का होगा।
14. श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्ड/शर्तों/नियमों के पालन के लिए निविदाकर्ता ऐजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगी तथा विश्वविद्यालय किन्हीं भी परिस्थितियों में तद्हेतु उत्तदायी नहीं होगा।
15. विश्वविद्यालय संबंधित ऐजेन्सी को सिर्फ अनुबंधानुसार निर्धारित राशि देने के लिए बाध्य होगा तथा ऐजेन्सी को अन्य किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान देय नहीं होगा। अनुक्रमानुपात चाहे शासन भुगतान बढ़ाता है या घटाता है।
16. टेण्डरकर्ता ऐजेन्सी को धरोहर राशि के रूप में रूपये 45,000/- जमा कराने होगें। जिसमें से सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण चोरी होने अथवा विश्वविद्यालय के आर्थिक नुकसान होने की स्थिति में अपेक्षित राशि राजसात की जा सकेगी।
17. सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्राप्त टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत कराने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय में निहित होगा। अनुबंध के पश्चात उभय पक्षों में विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
18. संस्थान, संगठन को प्रतिमाह आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित बिल प्रस्तुत करने पर यथाशीघ्र चेक द्वारा भुगतान करेगा तथा व्यक्तिगत रूप से किसी भी तैनात कर्मचारी को संस्थान द्वारा किसी भी अन्य प्रकार सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा।
19. संगठन द्वारा बिल का भुगतान करते समय प्रोविडेंट फंड अकाउन्टस इ. एस.आई. तथा रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों से संबंधित भविष्यनिधि का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो प्रोविडेंट फंड के लिए देय राशि ठेकेदार के मासिक बिल से रोककर रखी जाएगी।
20. किसी भी तैनात कर्मचारी के साथ दुर्घटना, मृत्यु अथवा प्रोविडेंट फंड आदि की समस्या या कोई शारीरिक अथवा कोई हानि होती है तो इसके लिए विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी यानी पूर्ण जिम्मेदारी संगठन की होगी।
21. नियमानुसार आयक के भुगतान के लिए संगठन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और बिल का भुगतान करते समय टी.डी.एस. अनिवार्य रूप से बिल की राशि से काटा जायेगा।
22. सुरक्षा कर्मी मुख्य द्वार पर आवक-जावक पंजीकाएं संधारित करने व आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों से सभ्रान्त पूछताछ करने संबंधी कार्य में दक्ष होना चाहिए।

..........3

23. सुरक्षा हेतु प्राप्त टेण्डरों को विश्वविद्यालय सुरक्षा समिति द्वारा टेण्डरकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 27.10.2009 को सांय 4:00 बजे कक्ष क्रमांक 16 में खोला जावेगा।
24. अगर विश्वविद्यालय निविदा को निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत हो जाने पर कार्यहित में कुछ कार्य/आपूर्ति किसी अन्य टेण्डरदाता को देना चाहें तो निविदादाता को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा ।
25. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को बगैर कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।
26. एजेन्सी अपने सुरक्षाकर्मी को चेक द्वारा भुगतान करेगी एवं दिये गये भुगतान की सूची अथवा चेक की फोटो प्रतिलिपि अगले देयक के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करेगी उसी के उपरान्त अगले माह के भुगतान हेतु अग्रेषित किया जावेगा ।
27. सुरक्षा एजेंसी का पंजीयन इंडस्ट्रीयल सिक्योरिटी एक्ट के तहत होना आवश्यक है।
28. सुरक्षा एजेंसी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ग्वालियर में पंजीयन कराना आवश्यक होगा बैद्य पंजीयन होने पर ही ऐजेंसी आवेदन कर सकेगी।

कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सुरक्षा व्यवस्था हेतु (निविदा) आवेदन–पत्र

1- (TECHNICAL BID)

1. सुरक्षा कम्पनी का नाम ....
2. पंजीयन क्रमांक एवं तिथि ....
3. संचालक का नाम एवं पता ....
   दूरभाष क्रमांक सहित ....
4. श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीयन क्रमांक ....
   दिनांक (यदि आवश्यक हो) ....
5. आयकर (पी.ए.एन.) क्रमांक एवं दिनांक ....
6. विगत तीन वर्षो से आयकर विवरण ....
   प्रस्तुत किया गया है तो उसकी ....
   प्रति संलग्न करें ....
7. विगत तीन वर्षो का कॉमर्शियल टेक्स का ....
   विवरण प्रस्तुत करें ....
8. विगत तीन वर्षो में जिन–जिन ....
   संस्थाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई ....
   गई हो तो उनका विवरण (संस्था का ....
   नाम/अवधि/उपलब्ध कराये गये कर्मचारी) ....
9. सुरक्षा प्रबन्ध देखने वाले पदाधिकारी का विवरण
   क) पदाधिकारी का नाम ....
   ख) शैक्षणिक योग्यता ....
   ग) सुरक्षा सम्बंधी तकनीकी योग्यता ....
10. रसीद का क्रमांक एवं दिनांक ....
11. जीवाजी विश्वविद्यालय की शर्तो के अतिरिक्त आपकी सुरक्षा कम्पनी सुरक्षा व्यवस्था से समबंधित कौन–कौन सी अतिरिक्त सुविधायें/व्यवस्थायें मुहैया कराएगी ।
12. अर्नेष्टमनी ....

2- (COMMERCIAL BID)

1. सुरक्षा कार्य सम्बंधित दरें विस्तृत रूप से लिखी जावें एवं सुरक्षा कर्मी की आयु 45 वर्ष (पूर्व सैनिक के लिये 55 वर्ष) से कम तथा उॅचाई 05 फुट 08 इंच, महिला सुरक्षा कर्मी की ऊॅचाई 05 फिट 04 इंच होना अनिवार्य है :

(अ) सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर)प्रतिमाह व्यक्ति दर ....

(ब) सुरक्षा गार्ड (डण्डामेन) प्रतिमाह व्यक्ति दर ....

(स) सुरक्षा गार्ड (गनमेन) प्रतिमाह व्यक्ति दर ....

(द) सुरक्षा गार्ड (एक्स आर्मी मेन) प्रतिमाह व्यक्ति दर ....

(ई) सर्विस चार्ज ....

(हस्ताक्षर एवं संस्था की सील)

मै प्रमाणित करता हूॅ कि उक्त विवरण मेरे ज्ञान में सत्य है तथा इसमें किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है । उपरोक्त कम में मैं यह भी अभिलिखित करता हूॅ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो का मैं पूर्णतः पालन करूॅगा ।

(हस्ताक्षर एवं संस्था की सील)

नोट : –

- **सुरक्षा एर्जेसी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान चैक के माध्यम से किया जावेगा ।**
- **कॉमर्शियल बिड एवम टेक्नीकल बिड पृथक–पृथक लिफाफों में जमा की जाये।**
- **टैक्नीकल बिड में योग्य पाये जाने पर ही सम्बंधित फर्म की कॉमर्शियल बिड खोली जावेगी ।**

JIWAJI UNIVERSITY,GWALIOR

No.JU/PAR/2009/Conf./474 Date : 04-10-2009

//TENDER NOTICE//

Sealed Tenders are invited from Security Services Companies who are having turnover of more than Rs.50 Lacs and possess Registration in P.F., E.S.I., Service Tax and should also possess valid licence under the Private Security Agencies (Regulations) Act,2005. Tender forms can be obtained from Room No.-1 by depositing the cost of tender form in cash Rs.500/-(non refundable). or by D.D. payable in favour of Registrar, Jiwaji University, Gwalior.Earnest money Rs. 45,000/-(refundable).Tender form can be downloaded from university Website www.jiwaji.edu

Completed Tender forms will be Received up to -22-10-2009 till 3:00 P.M. and will be opened on the same day at 04:00 P.M.

REGISTRAR